# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
| --- | --- | --- |
| 75 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016 | 30.11.2016 | 14.07.2023 |

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............आवेदक

बनाम

1–श्री सत्यनारायण विजय पुत्र श्री रामनिवास एफ.बी.ओ. मैसर्स रामअवतार एण्ड कम्पनी ट्रक स्टैण्ड के पास मालपुरा जिला टोंक निवासी ट्रक स्टैण्ड के पास मालपुरा जिला टोंक
2–मैसर्स रामअवतार एण्ड कम्पनी ट्रक स्टैण्ड के पास मालपुरा जिला टोंक
3–श्री राकेश कुमार जैन पार्टनर मैसर्स कुन्दन मल चन्दन मल जैन नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक निवासी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक
4–श्री कैलाश चन्द जैन पार्टनर मैसर्स कुन्दन मल चन्दन मल जैन नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक निवासी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक
5–श्री त्रिलोक चन्द जैन पार्टनर मैसर्स कुन्दन मल चन्दन मल जैन नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक निवासी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक
6–श्री चन्दन मल पार्टनर मैसर्स कुन्दन मल चन्दन मल जैन नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक निवासी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक
7–श्री कुन्दन मल पार्टनर मैसर्स कुन्दन मल चन्दन मल जैन नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक निवासी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक
8–श्री रमेश चन्द जैन पार्टनर मैसर्स कुन्दन मल चन्दन मल जैन नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक निवासी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक
9–मैसर्स कुन्दन मल चन्दन मल जैन नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक
10–श्री सुनील कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री राम प्रताप प्रोपरायटर मैसर्स एस.के. फूड्स टिक्कीवालों का रास्ता किशनपोल बाजार जयपुर निवासी 1715, टिक्कीवालों का रास्ता किशनपोल बाजार जयपुर
11–मैसर्स एस.के. फूड्स टिक्कीवालों का रास्ता किशनपोल बाजार जयपुर

..............अप्रार्थीगण

**जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011**

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि श्री पुलकित पाटोली उप.।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 14.07.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.07.2016 को समय 03:00 पी.एम पर मैसर्स रामअवतार एण्ड कम्पनी ट्रक स्टैण्ड के पास मालपुरा जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री सत्यनारायण विजय पुत्र श्री रामनिवास मिला, को अपना



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सत्यनारायण विजय ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **मिर्च पावडर टेलीफोन मूल पैक (Chilli Telephone powder Original pack)** के 500–500 ग्राम के 10 नग रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सत्यनारायण विजय को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **मिर्च पावडर टेलीफोन मूल पैक (Chilli Telephone powder Original pack)** जिसके लोट नं. 00296 दिनांक 02.06.2016 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया जा रहा है, 500–500 ग्राम के 4 पॉली पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिर्च पावडर टेलीफोन मूल पैक (Chilli Telephone powder Original pack)** 500–500 ग्राम के 4 मूल पैक को अलग–अलग डिब्बों में प्रत्येक में 1–1 नग रखकर डिब्बों के ढक्कन को बन्द कर चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1368 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1368 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

विकेता श्री सत्यनारायण विजय पुत्र श्री रामनिवास ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स कुन्दन मल चन्दन मल जैन नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक का खरीद बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा मैसर्स कुन्दन मल चन्दन मल जैन नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स एस.के. फूड्स टिक्कीवालों का रास्ता किशनपोल बाजार जयपुर का खरीद बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

आतीरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 16 / 3557 दिनांक 08.09.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. / 406 / एक्ट / 2016 / 456 दिनांक 28.07.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **मिर्च पावडर टेलीफोन मूल पैक** एफ.एस.एस.एस.ए. की धारा 2(ii) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री पुलकित पाटोली उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **मिर्च पावडर टेलीफोन मूल पैक (Chilli Telephone powder Original pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **मिर्च पावडर टेलीफोन मूल पैक (Chilli Telephone powder Original pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000 / –(अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.07.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक